MASTER COPY

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
भारतीय विश्वविद्यालय संघ, दिल्ली के सभा-कक्ष में आयोजित

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 27 मार्च, 2005

अनुक्रमणिका

क्र.सं.		पृष्ठ क्रमांक
1.	विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	01 से 08
2.	विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की गई कार्रवाई।	09 से 14
3.	एम.ए. (स्त्री अध्ययन), एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) तथा एम.ए. (जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण) के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन।	15 से 58
4.	एम.फिल. (स्त्री-अध्ययन) पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव।	59 से 60
5.	एम.फिल. के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन।	61 से 64
6.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित 'सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन' स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव।	65 से 78
7.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदान व सी-डैक, नोएडा के शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग से एम.टेक. (भाषा प्रौद्योगिकी) एवं एम.ए.(कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स) पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव।	79 से 90
8.	प्रशासनिक व अकादमिक सहयोग तथा आदान-प्रदान के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद से एम.ओ.यू. करने का प्रस्ताव।	91 से 94
9.	विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन।	95 से 165
10.	विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी में छमाही नवीकरण पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव।	166 से 171
11.	दूर शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाएँ।	172 से 175
12.	संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन।	176 से 177

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक

कार्यवृत

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च 2005 को सुबह 11:00 बजे भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नयी दिल्ली के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति
2)	डा. (श्रीमती) माजिदा असद	:	सदस्य
3)	डा. (श्रीमती) इन्दिरा गोस्वामी	:	सदस्य
4)	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
5)	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
6)	डा. रामदयाल मुण्डा	:	सदस्य
7)	श्री मधु मंगेश कर्णिक	:	सदस्य
8)	डा. कमलेश दत्त त्रिपाठी	:	सदस्य
9)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
10)	प्रो. इंद्रनाथ चौधुरी	:	सदस्य
11)	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
12)	प्रो. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
13)	डा. एस. आर. फारूकी	:	सदस्य
14)	प्रो. राम गोपाल गुप्ता	:	सदस्य
15)	डा. राम कृपाल तिवारी	:	पदेन सचिव एवं कुलसचिव

अन्य सदस्यों में डा. नबनीता देव सेन स्वास्थय ठीक न होने तथा डा. मृदुला गर्ग, प्रो. उदय नारायण सिंह, प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय और प्रो. बी.ए. प्रभाकर बाबू पूर्व प्रतिश्रुत होने के कारण उपस्थित न हो सके।

बैठक में प्रसिद्ध रंगकर्मी, डा. नेमिचंद्र जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया तथा दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की।

तदुपरांत कार्यसूची में दिये गये विषयों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

कार्य-सूची की मद सं. 1

विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विद्या-परिषद् की 17 एवं 18 अगस्त, 2004 को वर्धा में सम्पन्न दूसरी बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेज दिया गया था। किसी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त न होने के मद्देनजर विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने कार्यवृत का अनुमोदन किया।

अनुलग्नक : दूसरी बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त (पृष्ठ 3 से 8)

कार्य-सूची की मद सं. 2

विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की गई कार्यवाई :

विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुससरण में की गई कार्रवाई सूचनार्थ प्रस्तुत है।

सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में की गई कार्रवाई को नोट कर इससे अपनी सहमति व्यक्त की तथा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कुछ सुझाव दिये गये जिसका विवरण संलग्न है।

अनुलग्नक : कार्रवाई की रिपोर्ट एवं प्राप्त सुझाव (पृष्ठ 10 से 12)

एम.ए. (जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण), एम.ए. (स्त्री अध्ययन) तथा एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन :

विश्वविद्यालय में चल रहे एम.ए.(जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण) के संदर्भ में विश्वविद्यालय में हुई संगोष्ठी में विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के अनुसरण में पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए हैं, पाठ्यक्रम का संशोधित प्रारूप विद्या-परिषद् के अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एम.ए. (स्त्री अध्ययन) एवं एम.ए.(अहिंसा एवं शांति अध्ययन) पाठ्यक्रमों को भविष्य में रोजगारपरक बनाने की संभावनाओं पर चर्चा एवं विमर्श के लिए क्रमशः दिनांक 14 एवं 16-17 मार्च, 2005 को संगोष्ठी आयोजित हुई।

संगोष्ठी में प्राप्त विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के अनुसरण में संशोधित पाठ्यक्रम विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सभी सदस्यों ने प्रस्तुत पाठ्यक्रमों का अवलोकन किया तथा सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय भविष्य में अपने पाठ्यक्रमों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाए और इसके प्रारूप की दोनों प्रतियाँ सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी जायें यह भी ध्यान रखा जाये कि यह राजभाषा आयोग की शब्दावली के अनुसार हो।

1) ***एम.ए. (जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण) के संशोधित पाठ्यक्रम का अवलोकन कर इसके लिए स्टुडियो एवं उपकरणों की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राशि रु.16,00,000/- (रूपये सोलह लाख मात्र) का अनुमानित व्यय का अनुमोदन किया गया तथा पाठ्यक्रम निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया :***

   (क) ***प्रथम छमाही द्वितीय प्रश्न-पत्र : संचार माध्यमों का उद्‌भव एवं विकास (इकाई 1) बिन्दू 3 में महात्मा गांधी के योगदान को जोड़ा जाये।***

   (ख) ***प्रथम छमाही तृतीय प्रश्न-पत्र : भाषा, संस्कृति एवं संचार (इकाई 3) में भाषिक संस्कृति के स्थान पर "हिन्दी संस्कृति" लिखा जाये।***

   (ग) ***द्वितीय छमाही तृतीय प्रश्न-पत्र : संपादन, स्वरूप एवं प्रक्रिया (इकाई 3) में प्रतिपुष्टि एवं अनुधावन***

   इसका मतलब स्पष्ट न होने के कारण सभी सदस्यों का सुझाव था कि इस तरह के गूढ शब्दों के साथ अंग्रेजी के शब्द भी लिखे जायें और यदि संभव हो तो पाठ्यक्रमों के द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रारूप प्रस्तुत किये जायें।

   (घ) ***तृतीय छमाही तृतीय प्रश्न-पत्र : विकास पत्रकारिता (इकाई 2) 'प्रतिपक्ष की तरह विकृतियों का उल्मूलन एवं मानसिकता का उदात्तीकरण'***

इसे विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचारार्थ पुनः भेजने और स्पष्ट करने का निर्णय हुआ तथा संतुष्ट होने पर कुलपति को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।

2) *प्रस्तुत किए गए एम.ए. (स्त्री अध्ययन) के संशोधित पाठ्यक्रम को निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित कर अगले अकादमिक वर्ष से लागू करने का निर्णय किया गया :*

(क) सेमेस्टर II में तलाकशुदा औरतों की समस्याएँ (Problems of Divorcee) विषय को जोड़ा जाये चूंकि यह एक ज्वलंत समस्या है।

(ख) उक्त पाठ्यक्रम में ऊषा प्रियंवदा, डा. इन्दिरा गोस्वामी (कामरूपकी कहानी), सुश्री चित्रा मुद्गल (आवां), सुश्री मालती वाडेकर, सुश्री मेघना पेठे (मराठी में लिखी पुस्तकें), श्री गोविन्द मिश्र (तुम्हारी रोशनी) तथा श्री जैनेन्द्र कुमार आदि के स्त्रियों की समस्याओं पर लेख एवं पुस्तकों को भी शामिल किये जाने का सुझाव दिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि कुलपति की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित हो और इस तरह के सुझावों को उक्त उपसमिति के समक्ष रख उसकी अनुशंसाओं एवं अनुमोदन के साथ ही लागू कर दिया जाये तथा इसकी सूचना ही विद्या-परिषद् को दी जाये। कुलपति को इसके लिए अधिकृत किया गया।

3) *एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) के संशोधित पाठ्यक्रम का अवलोकन कर इसे अनुमति प्रदान की गई।*

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत पाठ्यक्रमों के प्रारूप में टंकित अशुद्धियों को ठीक कर लिया जाये।

अनुलग्नक : विद्या-परिषद् द्वारा संशोधन उपरांत अनुमोदित पाठ्यक्रम :

1. एम.ए. (जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण) (पृष्ठ 17 से 37)
2. एम.ए. (स्त्री-अध्ययन) (पृष्ठ 38 से 53)
3. एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) (पृष्ठ 54 से 58)

कार्य-सूची की मद सं. 4

एम.फिल. (स्त्री-अध्ययन) पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव :

विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक में एम.फिल. (हिन्दी तुलनात्मक साहित्य), एम.फिल. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन), एम.फिल. (अनुवाद प्रौद्योगिकी) आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई थी, परन्तु वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में एम.फिल. (स्त्री अध्ययन) पाठ्यक्रम की उपयोगिता तथा मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय में इसे वर्ष 2005-06 से आरम्भ करने हेतु पाठ्यक्रम का प्रारूप विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुलग्नक : अनुमोदित पाठ्यक्रम : एम.फिल. (स्त्री-अध्ययन) (पृष्ठ 60)

कार्य-सूची की मद सं. 5

एम.फिल. के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन :

1) 16 से 17 मार्च 2005 को वर्धा में हुई कार्यशाला में विश्वविद्यालय में चल रहे एम.फिल. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए। तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ संलग्न है।

2) एम.फिल. (अनुवाद प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए है। संशोधित पाठ्यक्रम विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ संलग्न है।

उक्त पाठ्यक्रमों में किए गए संशोधन का अवलोकन कर इन्हें स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुलग्नक : अनुमोदित संशोधित पाठ्यक्रम :

1. एम.फिल. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) (पृष्ठ 62 से 63)
2. एम.फिल. (अनुवाद प्रौद्योगिकी) (पृष्ठ 64)

कार्य-सूची की मद सं. 6

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित 'सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन' में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव :

विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित **'सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन'** में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु किया जाना है। इसका प्रारूप अनुमोदनार्थ संलग्न है।

विद्या-परिषद् ने उक्त पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की।

अनुलग्नक - स्नातकोत्तर डिप्लोमा (सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन) (पृष्ठ 66 से 78)